

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

बनाम

किस्म मुकदमा

मु. नं०

वर्ष

शाही - गिराहा 16/17

दिनांक

आज्ञा पत्र

27.10.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसाय दिनांक 30.11.22 को पेश हो

30.11.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसाय दिनांक 08.12.22 को पेश हो

08.12.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसाय दिनांक 09.01.23 को पेश हो

9.1.23

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास चुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर (कैम्प अड्डा)